उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 310/IX-1/95(2015)/2016
देहरादून दिनांक 20 मई, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, वर्ष 1988) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम, की धारा 212 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ जारी सरकारी अधिसूचना संख्या–214/IX-1/95(2015)/2016 दिनाक 31 मार्च, 2016 के क्रम में प्राप्त आपत्तियाँ और सुझावों पर विचार करने के पश्चात उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड मोटरयान (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2016 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम–203 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड मोटरयान (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा जायेगा, के नियम 203 (1) एवं 203 (2) (तीन) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात:–

		स्तम्भ–1 विद्यमान		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सुरक्षा टोप का पहनना	203	(1) प्रत्येक व्यक्ति जब वह मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर नीचे उपनियम (2) में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा।	203	(1) प्रत्येक व्यक्ति जब वह मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर सवारी कर रहा हो नीचे उपनियम (2) में दी गई विनिर्दिष्टियो के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा।
	(2)	(तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियों जिनका आकार 2 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे	(2)	(तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियों जिनका आकार 2 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हो, जो रात्रि

चिपकी हो, जो रात्रि के दौरान चमकेगी।

परन्तु यह की इस नियम का उपनियम (1) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा–

(क) किसी मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड पर पिछली सीट पर बैठने वाली प्रत्येक सवारी,

(ख) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला कोई व्यक्ति, जो पगड़ी बांधे हो।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिए पगड़ी का तात्पर्य 6 मीटर X 82 सेंटीमीटर के कपड़े से है, जिसे कोई व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो, अपने सिर के चारों ओर बांध सकता है।

के दौरान चमकेगी।

परन्तु यह कि सार्वजनिक स्थान पर मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला या उसमें पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति, जो पगड़ी बांधे हो, पर उपनियम (1) लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिए पगड़ी का तात्पर्य 6 मीटर X 82 सेंटीमीटर के कपड़े से है, जिसे कोई व्यक्ति, जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो, या बैठा हो, अपने सिर के चारो ओर बांध सकता है।

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव।